

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHARAT ELECTRONICS LIMITED

(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)

पंजीकृत व कारपोरेट कार्यालय - आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु - 560 045
Registered & Corporate Office : Outer Ring Road, Nagavara, Bengaluru - 560 045, CIN : L32309KA1954GOI000787

सूचना / NOTICE

प्रति

सभी सदस्य

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सदस्यों की 62वीं वार्षिक सामान्य बैठक गुरुवार, दिनांक 22 सितंबर, 2016 को अपराह्न 02.00 बजे दि सिद्धार्थ हॉल, होटल ललित अशोक, कुमार कृपा हाई ग्राउंड्स, बेंगलूरु - 560 001 में निम्नलिखित कार्यकलाप संचालित करने हेतु आयोजित की जाएगी -

सामान्य कार्यकलाप

- (क) 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदनों पर विचार करने और उसे अपनाने हेतु ।
(ख) 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदनों पर विचार करने और उसे अपनाने हेतु ।
- फरवरी, 2016 में पहले ही अदा किए गए ₹ 2.50 (दो रुपए पचास पैसे मात्र) प्रति ईक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश संपुष्ट करने तथा ईक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश घोषित करने हेतु ।
- श्री एम एल षण्णमुख, जो चक्रानुक्रम से निवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करने हेतु ।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) जिसे धारा 142 के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना है, के तारतम्य में कंपनी के सांविधिक लेखा- परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने और निम्न लिखित संकल्प को संशोधन के साथ या संशोधन के बिना, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -

"संकल्प किया गया कि कंपनी के निदेशक मंडल को अपने संपूर्ण विवेक से, कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों के पारिश्रमिक पर निर्णय लेने और तय करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाए एवं प्राधिकृत किया जाता है ।"

विशेष कार्यकलाप

- श्रीमती कुसुम सिंह की निदेशक के रूप में नियुक्ति ।
निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो

TO

ALL MEMBERS

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 62nd Annual General Meeting of the Members of Bharat Electronics Limited will be held on Thursday, 22 September 2016, at 02:00 p.m. at The Siddhartha Hall, Hotel Lalit Ashok, Kumara Krupa High Grounds, Bengaluru - 560 001 to transact the following business :

ORDINARY BUSINESS

- (a) To consider and adopt the audited financial statements of the Company for the financial year ended on 31 March 2016 and the Reports of the Board of Directors and Auditors thereon.
(b) To consider and adopt the audited consolidated financial statements of the Company for the financial year ended on 31 March 2016 and the reports of Auditors thereon.
- To confirm the Interim Dividend of ₹ 2.50 (two rupees fifty paise only) per equity share already paid in February, 2016 and to declare Final Dividend on Equity Shares.
- To appoint a Director in place of Mr M L Shanmukh, who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.
- To authorise the Board of Directors to fix the remuneration of the Statutory Auditors of the Company, in terms of the provisions of section 139(5) read with section 142 of the Companies Act, 2013 and to pass the following resolution, with or without modification(s), as **Ordinary Resolution:**
"RESOLVED THAT the Board of Directors of the Company be and is hereby authorised, hereafter, in its absolute discretion to decide and fix the remuneration of the Statutory Auditors of the Company."

SPECIAL BUSINESS

5. Appointment of Mrs Kusum Singh as Director

To consider and if thought fit, to pass, with or without

उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

“संकल्प किया गया कि श्रीमती कुसुम सिंह, जिन्हें कंपनी की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों के तारतम्य में 26 अगस्त 2015 से प्रभावी करते हुए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और जिनकी नियुक्ति के लिए कंपनी ने एक सदस्य से कंपनी के निदेशक के पद हेतु उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत अपेक्षित जमा राशि के साथ-साथ, लिखित में सूचना प्राप्त की है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए जो चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त नहीं होंगे।”

6. **डॉ भास्कर राममूर्ति की निदेशक के रूप में नियुक्ति ।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

“संकल्प किया गया कि डॉ भास्कर राममूर्ति, जिन्हें कंपनी की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों के तारतम्य में 02 दिसम्बर 2015 से प्रभावी करते हुए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनकी नियुक्ति के लिए कंपनी ने एक सदस्य से कंपनी के निदेशक के पद हेतु उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत अपेक्षित जमा राशि के साथ-साथ, लिखित में सूचना प्राप्त की है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए जो चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त नहीं होंगे।”

7. **डॉ आर के शेवगांवकर की निदेशक के रूप में नियुक्ति ।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

“संकल्प किया गया कि डॉ आर के शेवगांवकर, जिन्हें कंपनी की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों के तारतम्य में 02 दिसम्बर 2015 से प्रभावी करते हुए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनकी नियुक्ति के लिए कंपनी ने एक सदस्य से कंपनी के निदेशक के पद हेतु उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत अपेक्षित जमा राशि के साथ-साथ, लिखित में सूचना प्राप्त की है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए जो चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त नहीं होंगे।”

modifications, the following resolution as an **Ordinary Resolution** :

“RESOLVED THAT Mrs Kusum Singh, who was appointed by Board of Directors of the Company w.e.f. 26 August, 2015 as Additional Director pursuant to the provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013 to hold office upto the date of this Annual General Meeting of the Company and for the appointment of whom the Company has received a notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under section 160 of the Companies Act, 2013 proposing her candidature for the office of Director of the Company, be appointed as a Director of the Company not liable to retire by rotation.”

6. **Appointment of Dr Bhaskar Ramamurthi as Director**

To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as an **Ordinary Resolution** :

“RESOLVED THAT Dr Bhaskar Ramamurthi, who was appointed by Board of Directors of the Company w.e.f. 2 December 2015 as Additional Director pursuant to the provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013 to hold office upto the date of this Annual General Meeting of the Company and for the appointment of whom the Company has received a Notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under section 160 of the Companies Act, 2013 proposing his candidature for the office of Director of the Company, be appointed as a Director of the Company not liable to retire by rotation.”

7. **Appointment of Dr R K Shevgaonkar as Director**

To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as an **Ordinary Resolution** :

“RESOLVED THAT Dr R K Shevgaonkar, who was appointed by Board of Directors of the Company w.e.f. 2 December 2015 as Additional Director pursuant to the provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013 to hold office upto the date of this Annual General Meeting of the Company and for the appointment of whom the Company has received a Notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under section 160 of the Companies Act, 2013 proposing his candidature for the office of Director of the Company, be appointed as a Director of the Company not liable to retire by rotation.”

8. **श्रीमती उषा माथुर की निदेशक के रूप में नियुक्ति ।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

"संकल्प किया गया कि, श्रीमती उषा माथुर, जिन्हें कंपनी की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों के तारतम्य में 23 दिसम्बर, 2015 से प्रभावी करते हुए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनकी नियुक्ति के लिए कंपनी ने एक सदस्य से कंपनी के निदेशक के पद हेतु उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत अपेक्षित जमा राशि के साथ-साथ, लिखित में सूचना प्राप्त की है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए जो चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त नहीं होंगे ।"

9. **श्री शरद सांघी की निदेशक के रूप में नियुक्ति ।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

"संकल्प किया गया कि श्री शरद सांघी, जिन्हें कंपनी की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों के तारतम्य में 07 जनवरी 2016 से प्रभावी करते हुए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनकी नियुक्ति के लिए कंपनी ने एक सदस्य से कंपनी के निदेशक के पद हेतु उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत अपेक्षित जमा राशि के साथ-साथ, लिखित में सूचना प्राप्त की है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए जो चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त नहीं होंगे ।"

10. **श्री गिरीश कुमार की निदेशक के रूप में नियुक्ति ।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

"संकल्प किया गया कि श्री गिरीश कुमार, जिन्हें कंपनी की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों के तारतम्य में 01 मई, 2016 से प्रभावी करते हुए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनकी नियुक्ति के लिए कंपनी ने एक सदस्य से कंपनी के निदेशक के पद हेतु उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत अपेक्षित जमा राशि के साथ-साथ, लिखित में सूचना प्राप्त

8. **Appointment of Mrs Usha Mathur as Director**

To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as an **Ordinary Resolution** :

"RESOLVED THAT Mrs Usha Mathur, who was appointed by Board of Directors of the Company w.e.f. 23 December 2015 as Additional Director pursuant to the provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013 to hold office upto the date of this Annual General Meeting of the Company and for the appointment of whom the Company has received a Notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under section 160 of the Companies Act, 2013 proposing her candidature for the office of Director of the Company, be appointed as a Director of the Company not liable to retire by rotation."

9. **Appointment of Mr Sharad Sanghi as Director**

To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as an **Ordinary Resolution** :

"RESOLVED THAT Mr Sharad Sanghi, who was appointed by Board of Directors of the Company w.e.f. 7 January, 2016 as Additional Director pursuant to the provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013 to hold office upto the date of this Annual General Meeting of the Company and for the appointment of whom the Company has received a Notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under section 160 of the Companies Act, 2013 proposing his candidature for the office of Director of the Company, be appointed as a Director of the Company not liable to retire by rotation."

10. **Appointment of Mr Girish Kumar as Director**

To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as an **Ordinary Resolution** :

"RESOLVED THAT Mr Girish Kumar, who was appointed by Board of Directors of the Company w.e.f. 1 May 2016 as Additional Director pursuant to the provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013 to hold office upto the date of this Annual General Meeting of the Company and for the appointment of whom the Company has received a Notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under section 160 of the Companies Act, 2013 proposing his candidature for the office of

की है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए जो चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होंगे।”

11. श्री नटराज कृष्णप्पा की निदेशक के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -

“संकल्प किया गया कि श्री नटराज कृष्णप्पा, जिन्हें कंपनी की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों के तारतम्य में 01 मई 2016 से प्रभावी करते हुए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनकी नियुक्ति के लिए कंपनी ने एक सदस्य से कंपनी के निदेशक के पद हेतु उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत अपेक्षित जमा राशि के साथ-साथ, लिखित में सूचना प्राप्त की है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए जो चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होंगे।”

12. लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 तथा अधिनियम के अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, जिन्हें उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना है (किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या उसके पुनःप्रवर्तन जो वर्तमान में प्रभावी है, सहित), के तारतम्य में, 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त मे. जीएनवी एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार, बेंगलूरु (फर्म पंजीकरण सं. 000150) को ₹ 350,000 (₹ तीन लाख पचास हजार मात्र) के पारिश्रमिक तथा लागू सेवा कर का भुगतान एवं फुटकर व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु कंपनी की सहमति प्रदान की जाए और एतद्वारा प्रदान की जाती है।”

मंडल के आदेशानुसार,
कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

बेंगलूरु
10 अगस्त 2016

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

Director of the Company, be appointed as a Director of the Company, liable to retire by rotation.”

11. Appointment of Mr Nataraj Krishnappa as Director

To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as an **Ordinary Resolution** :

“RESOLVED THAT Mr Nataraj Krishnappa, who was appointed by Board of Directors of the Company w.e.f. 1 May 2016 as Additional Director pursuant to the provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013 to hold office upto the date of this Annual General Meeting of the Company and for the appointment of whom the Company has received a Notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under section 160 of the Companies Act, 2013 proposing his candidature for the office of Director of the Company, be appointed as a Director of the Company, liable to retire by rotation.”

12. Ratification of remuneration of the Cost Auditor

To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as an **Ordinary Resolution** :

“RESOLVED THAT pursuant to Section 148 and other applicable provisions, if any of Companies Act, 2013 read with the relevant Rules thereunder, (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), consent of the Company be and is hereby accorded for the payment of remuneration of ₹ 350,000 (Rupees three lakhs fifty thousand only) plus applicable service tax and reimbursement of out of pocket expenses to M/s GNV & Associates, Cost Accountants, Bengaluru (Firm Registration No. 000150) appointed by the Board of Directors of the Company as Cost Auditors to conduct the audit of cost records of the Company for the financial year ending on 31 March 2017.”

By order of the Board,
For **Bharat Electronics Limited**

Bengaluru
10 August 2016

S Sreenivas
Company Secretary

नोट

1. यथा उपरोक्त विशेष कार्यकलाप के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 102 के तारतम्य में संबंधित व्याख्यात्मक विवरण यहाँ संलग्न है और इस सूचना का भाग है।
2. वार्षिक सामान्य बैठक ("बैठक") में शामिल होने और मतदान करने के हकदार सदस्य उनकी ओर से सम्मिलित होने और मतदान करने के लिए परोक्षी नियुक्त करने के हकदार हैं और परोक्षी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। बहरहाल, परोक्षी को नियुक्त करने के विलेख को बैठक के प्रारंभ होने से पहले, किंतु 48 घण्टों से पहले नहीं, विधिवत् पूर्ण रूप से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
3. बैठक में शामिल होने वाले प्राधिकृत प्रतिनिधि को भेजने का आशय रखने वाले कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक में उनकी ओर से भाग लेने और मतदान करने हेतु अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत करते हुए मंडल के संकल्प की प्रमाणित प्रति कंपनी को भेजें।
4. अधिनियम की धारा 101 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 18 के परिप्रेक्ष्य में, वार्षिक सामान्य बैठक की यह सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन सहित अन्य दस्तावेज ईमेल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसे शेरधारकों को भेजे जा रहे हैं, जिन्होंने अपने डीमैट खातों में ईमेल का पता दिया है।

बहरहाल, सदस्य कृपया नोट करें कि वे आवश्यकता प्राप्त करने पर, लाभ व हानि के विवरण और लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन सहित कंपनी के तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न किए जाने वाले सभी दस्तावेजों की हार्ड प्रति निःशुल्क प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे।

दस्तावेज भौतिक रूप में प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य कंपनी के पंजीयक, मे. इंटीग्रेटेड इंटरप्राइजेस (इंडिया) लि. को डीमैट खाते के ब्यौरे विधिवत् देते हुए यथाशीघ्र सूचित करें। वैकल्पिक रूप से, डीमैट खाते के ब्यौरे को विधिवत् उद्धृत करते हुए अपने अनुरोध को ईमेल आईडी irg@integratedindia.in पर ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है।

कंपनी इन दस्तावेजों को शेरधारकों के अवलोकनार्थ एवं उनके द्वारा डाउनलोड करने के लिए कंपनी की वेबसाइट यानी www.bel-india.com पर भी उपलब्ध कराएगी। साथ ही, वार्षिक प्रतिवेदन की भौतिक प्रतियाँ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्य घण्टों के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी।

5. अधिनियम की धारा 170 के तहत रखी गई, निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा उनकी शेरधारिता की पंजी वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्यों के निरीक्षणार्थ उपलब्ध होगी।
6. इस सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज तथा व्याख्यात्मक विवरणी इस सूचना की तारीख से वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय

NOTE

1. Relevant Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 (the Act), in respect of Special Business as set out above is annexed hereto and forms part of the Notice.
2. A Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting (the "Meeting") is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the proxy need not be a Member of the Company. The instrument appointing a proxy should, however, be deposited at the Registered Office of the Company duly completed, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.
3. Corporate Members intending to send their authorised representatives to attend the Meeting are requested to send to the Company a certified copy of the Board Resolution authorising their representative to attend and vote on their behalf at the Meeting.
4. In terms of Section 101 of the Act and Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, this Notice of AGM and other documents including the Annual Report are being sent in electronic mode by e-mail to those shareholders who have furnished their e-mail address in their demat accounts.

However, Members may please note that they will be entitled to a hard copy of Balance Sheet of the Company and all attachments thereto, including the Statement of Profit and Loss and Auditors' Report, upon receipt of a requisition, free of cost.

Members interested to receive the documents in physical form may please give the intimation to the Company's Registrars, M/s Integrated Enterprises (India) Ltd. at the earliest, duly quoting the Demat A/c details. Alternatively, the request, duly quoting the Demat A/c details, may be sent by email at e-mail ID: irg@integratedindia.in

The Company would also make available these documents on the Company's website viz. www.bel-india.com for perusal and download by the shareholders. Also, the physical copies of Annual Report would be available at the Registered Office of the Company for inspection during office hours.

5. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding, maintained under Section 170 of the Act, will be available for inspection by the Members at the AGM.
6. All the documents referred to in this Notice and the Explanatory Statement will be available for inspection by

में प्रातः 10 बजे से लेकर अपराह्न 4 बजे तक सदस्यों के निरीक्षणार्थ उपलब्ध होगी ।

7. ईक्विटी शेयरों पर लाभांश, यदि बैठक में घोषित किया जाए, के लिए पात्र सदस्यों के नामों को निर्धारित करने के लिए कंपनी के सदस्यों की पंजी और शेयर अंतरण बही को दिनांक 22 अगस्त 2016 से 24 अगस्त 2016 तक (दोनों दिनों सहित) बंद रखा जाएगा ।
8. वर्ष 2015-16 हेतु अंतिम लाभांश, यदि बैठक में घोषित हो, घोषणा की तिथि से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों को प्रदेय होगा जिनके नाम यथा 19 अगस्त 2016 को कंपनी के सदस्यों की पंजी में प्रकट होते हैं ।

कंपनी जहाँ कहीं संभव हो, लाभांश भुगतान ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस) द्वारा तथा अन्य मामलों में लाभांश वारंट / बैंक मांग पत्र द्वारा करेगी । इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में, लाभांश का भुगतान यथा 19 अगस्त 2016 को कारोबारी घण्टों की समाप्ति पर इस प्रयोजन हेतु निक्षेपकर्ताओं (एन एस डी एल तथा सी डी एस एल) द्वारा दिए गए हिताधिकारी स्वामित्व ब्यौरे के आधार पर किया जाएगा । इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य नोट करें कि उनके संबंधित निक्षेपागार खातों के समक्ष दर्ज बैंक विवरणों का प्रयोग कंपनी द्वारा लाभांश के भुगतान हेतु किया जाएगा । कंपनी या इसके पंजीयक बैंक संबंधी विवरणों या बैंक आज्ञा में किसी परिवर्तन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं । ऐसे परिवर्तनों को सदस्यों के निक्षेपागार सहभागी को ही सूचित किया जाना है । जिन सदस्यों ने निक्षेपागार खाता खोलने के बाद अपना बैंक खाता परिवर्तित किया है और निक्षेपागार खाता खोलते समय विनिर्दिष्ट खाते के अलावा खाते में लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे सदस्यों से अनुरोध है कि वे 31 अगस्त, 2016 से पहले अपने निक्षेपागार सहभागी से अपने बैंक खाते के ब्यौरे (नौ अंकों के बैंक कोड सहित) में परिवर्तन / सुधार कर लें ।

9. वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी ने अदत्त लाभांश खाते से ₹ 2,27,336 की राशि को कोष में अंतरित किया है (2007-08 के अंतिम लाभांश का ₹ 1,59,878 और वर्ष 2008-09 के अंतरिम लाभांश का ₹ 67,458)। वर्ष 2008-2009 के लिए दावा न किए गए / अदत्त लाभांश और वर्ष 2009-10 के लिए अंतरिम लाभांश वर्ष 2016-17 में निधि में अंतरित करने हेतु नियत है । कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.bel-india.com में "निवेशकों के लिए सूचना" नामक एक अलग पृष्ठ में 2006-07 के बाद से लाभांश भुगतान के ब्यौरे तथा अदत्त लाभांश का दावा करने की मार्गदर्शी सूचना लगाई है । शेयरधारकों से निवेदन है कि वे अदत्त / दावा न किए गए लाभांश का दावा करने के लिए इसमें दिए गए फार्म का प्रयोग करें ।

the Members at the Registered Office of the Company between 10.00 am and 4.00 pm on all working days from the date of this Notice upto the date of the AGM.

7. The Company's Register of Members and Share Transfer Books will be closed from 22 August 2016 to 24 August 2016 (both days inclusive) for determining the names of members eligible for dividend on Equity shares, if declared at the Meeting.
8. The Final Dividend for the year 2015-16, if declared at the Meeting, will be payable within 30 days from the date of declaration, to those members whose names appear on the Company's Register of Members as on 19 August 2016.

Company will be making the dividend payment by ECS (Electronic Clearing Services), wherever possible and by dividend warrant / Bank demand drafts in other cases. In respect of shares held in electronic form, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership details furnished by the Depositories (NSDL & CDSL), as at the close of business hours on 19 August 2016, for this purpose. Members holding shares in electronic form may note that bank particulars registered against their respective depository accounts will be used by the Company for payment of dividend. The Company or its Registrars cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandate. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members. Members who have changed their bank account after opening the Depository Account and want to receive dividend in an account other than the one specified while opening the Depository Account, are requested to change/correct their bank account details (including the nine digit Bank code) with their Depository Participant, before 31 August 2016.

9. During the year 2015-16, the Company transferred to the Fund an amount of ₹ 2,27,336 from the Unpaid Dividend Account (₹ 1,59,878 of final dividend 2007-08 and ₹ 67,458 of interim dividend 2008-09). The unclaimed/ unpaid final dividend for the year 2008-09 and interim dividend for the year 2009-10 are due for transfer to the Fund in 2016-17. The Company has posted on its website www.bel-india.com in a separate page titled "Information for Investors" the details of dividend payment since 2006-07 onwards and guidance information for claiming unpaid dividend. Shareholders are requested to make use of the claim form provided there to claim unpaid/ unclaimed dividend.

10. कंपनी के लेखों के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न, लिखित में, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में ऐसे भेजें कि वे बैठक से कम से कम 7 दिनों पहले पहुँच जाएँ ताकि अपेक्षित सूचना बैठक में उपलब्ध हो सके ।
11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक प्रतिवेदन और सूचना की अपनी प्रतियाँ बैठक में साथ लेकर लाएँ ।
12. बैठक में सम्मिलित हो रहे सदस्यों / परोक्षियों से अनुरोध है कि वे संलग्न उपस्थिति पर्ची भरकर उसे बैठक के प्रवेश स्थल पर सुपुर्द करें ।
13. बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, केवल ऐसे संयुक्त धारक जो नामों के क्रम में ऊपर होंगे, मतदान करने के हकदार होंगे ।
14. शेयरों को भौतिक रूप में धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते में हुए किसी भी परिवर्तन के बारे में कंपनी के पंजीयक व अंतरण एजेंट मेसर्स इंटीग्रेटेड इंटरप्राइजेस (इंडिया) लि., 30, रमणा रिसिडेंसी, भूतल, 4था क्रॉस, सम्मिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूरु-560003, दूरभाष 080-23460815-18, फैक्स 080-23460819 को लिखित सूचना भेजते हुए तुरंत सूचित करें । शेयरों को डीमैट रूप में धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित निक्षेपागार सहभागियों से संपर्क करें जिनके साथ उन्होंने डीमैट खाता खोला है और पते में हुए परिवर्तन को दर्ज करा लें ।
15. जो शेयरधारक अब तक शेयरों को भौतिक रूप में धारित करते हैं उन्हें यह परामर्श दिया जाता है कि वे शेयर प्रमाण-पत्रों के खो जाने / गलत स्थान पर रखे जाने / चोरी / जालसाजी से पैदा होने वाली परेशानियों से बचने के लिए अपने हित में शेयरों को डीमैट करा लें । कंपनी ने शेयरधारकों को बीईएल के शेयरों को डीमैट कराने हेतु दोनों निक्षेपागारों अर्थात् एन एस डी एल और सी डी एस एल के साथ करार किए हैं । सदस्य इस संबंध में कृपया पंजीयक व अंतरण एजेंट, मेसर्स इंटीग्रेटेड इंटरप्राइजेस (इंडिया) लि. से संपर्क करें ।
16. कंपनी ने अपने सदस्यों को राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपोजिटरी लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक मतदान सेवा सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है । मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी वार्षिक सामान्य बैठक में उपलब्ध कराई जाएगी और इस बैठक में भाग लेने वाले ऐसे सदस्य जिन्हें रिमोट ई-मतदान द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, वे इस मतपत्र द्वारा बैठक में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे । ऐसे सदस्य जिन्होंने इस बैठक से पहले रिमोट ई-मतदान द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, वे इस बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन वे दोबारा मतदान करने के हकदार नहीं होंगे । ई-मतदान के अनुदेश इस सूचना के संलग्नक में दिए गए हैं ।
10. Members desirous of getting any information in respect of Accounts of the Company are requested to send their queries, in writing, to the Company at the Registered Office so as to reach at least 7 days before the Meeting so that the required information can be made available at the Meeting.
11. Members are requested to bring their copies of the Annual Report and the Notice to the Meeting.
12. Members/Proxies attending the Meeting are requested to complete the enclosed Attendance Slip and deliver the same at the entrance of the meeting venue.
13. In case of joint holders attending the Meeting, only such joint holder who is higher in the order of names will be entitled to vote.
14. Members holding shares in physical form are requested to notify to the Company's Registrars and Transfer Agent, M/s Integrated Enterprises (India) Ltd., 30, Ramana Residency, Ground Floor, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru – 560003, Tel. 080-23460815-18, Fax. 080-23460819 immediately any change in their address, by sending a written communication. Members who are holding shares in demat form are requested to contact the respective Depository Participants with whom they have opened the Demat Account and get the change of address recorded.
15. Members still holding shares in physical form are advised to dematerialise the shares in their own interest to avoid difficulties arising from loss/misplacement/theft/forgery of share certificates. Company has entered into agreements with both the depositories, viz. NSDL and CDSL to enable the shareholders to dematerialise BEL shares. In this connection, Members may please contact the Registrar and Transfer Agent, M/s Integrated Enterprises (India) Ltd.
16. The Company has provided a facility to the Members to exercise their votes electronically through the electronic voting service facility arranged by National Securities Depository Limited. The facility for voting, through ballot paper, will also be made available at the AGM and the Members attending the AGM who have not already cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM through ballot paper. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again. The instructions for e-voting are annexed to the Notice.

रिमोट ई-मतदान के लिए अनुदेश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 जिसे कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन, नियम 2015 द्वारा स्थापित किया गया है, और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी गुरुवार, 22 सितंबर, 2016 को, अपराह्न 02.00 बजे आयोजित होने वाली 62वीं वार्षिक सामान्य बैठक आहूत करने की सूचना में निर्धारित सभी संकल्पों पर अपने सदस्यों को अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने की सुविधा सहर्ष प्रदान करती है। कंपनी ने रिमोट ई-मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएँ प्राप्त की हैं।

सुदूर ई-मतदान सुविधा www.evoting.nsdl.com लिंक में उपलब्ध है।

कृपया अपने मताधिकार का प्रयोग करने से पहले नीचे मुद्रित अनुदेशों को पढ़ें।

ये व्यौरे तथा अनुदेश 22 सितंबर 2016 को होने वाली 62वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना का अभिन्न भाग बनते हैं।

रिमोट ई-मतदान की सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी -

रिमोट ई-मतदान का प्रारंभ	रिमोट ई-मतदान की समाप्ति
19 सितंबर, 2016 को सुबह 9:00 बजे, आईएसटी	21 सितंबर, 2016 को अपराह्न 5:00 बजे, आईएसटी

रिमोट ई-मतदान के अनुदेश इस प्रकार हैं -

रिमोट ई-मतदान करने के कदम -

- सदस्य जिनकी शेयरधारिता डीमटीरियलीकृत फार्म में है तथा जिनके ई-मेल एड्रेस कंपनी / डिपॉजिटरी सहभागी (सहभागियों) के पास दर्ज किए गए हैं, को एनएसडीएल से ई-मेल प्राप्त होगा जिसमें यूजर-आईडी तथा पासवर्ड सूचित किए जाएंगे।
 - ई-मेल खोले और अपने क्लाइंट आईडी या फोलियो संख्या को पासवर्ड बनाते हुए पीडीएफ फाइल यानी "Bharat Electronics Limited remote e-voting.pdf" खोलें। इस पीडीएफ फाइल में रिमोट ई-मतदान के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड/पिन है, जिसे सदस्य बदल सकते हैं।
 - इंटरनेट ब्राउज़र खोलें और निम्नलिखित यूआरएल टाइप करें - <https://www.evoting.nsdl.com>
 - शेयरधारक - लॉगिन पर क्लिक करें।
 - यदि आप रिमोट ई-मतदान करने के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं, तो लॉगिन करने के लिए आप अपने विद्यमान यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Instructions for remote e-voting

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, substituted by Companies (Management and Administration) Amendment, Rules 2015, and Regulation 44 of SEBI (LODR) regulations, 2015, the Company is pleased to offer e-voting facility to the Members to cast their votes electronically on all resolutions set forth in the Notice convening the 62nd Annual General Meeting to be held on the Thursday, 22 September 2016 at 02:00 p.m. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide the remote e-voting facility.

The remote e-voting facility is available at the link www.evoting.nsdl.com

Please read the instructions printed below before exercising your vote.

These details and instructions form an integral part of the Notice for the 62nd Annual General Meeting to be held on 22 September 2016.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period :

Commencement of remote e-voting	End of remote e-voting
19 September 2016 at 9 :00 A.M. IST	21 September 2016 at 5 :00 P.M. IST

The instructions for remote e-voting are as under :

Steps for remote e-voting :

- Members whose shareholding is in the dematerialised form and whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participants(s) will receive an e-mail from NSDL informing the User-ID and Password.
 - Open e-mail and open PDF file viz.; "Bharat Electronics Limited remote e-voting.pdf" with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password/PIN for remote e-voting. Please note that the password is an initial password, which the member may change.
 - Open the internet browser and type the following URL:
<https://www.evoting.nsdl.com>
 - Click on Shareholder – Login.
 - If you are already registered with NSDL for e-voting, then you can use your existing User ID and Password for Login.

5. यदि आप पहली बार लॉगिंग कर रहे हैं, तो कृपया कदम (1) में बताए गए प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में यूज़र आईडी और पासवर्ड/पिन को प्रविष्ट करें। लॉगिन पर क्लिक करें।
 6. पासवर्ड चेंज का मेन्यू प्रकट होगा। अपनी पसंद के नए पासवर्ड से पासवर्ड/पिन बदलें जिसमें कम से कम 8 अंकों / अक्षरों का सम्मिश्रण हो। इस नए पासवर्ड को नोट कर लें। आपको सख्त हिदायत दी जाती है कि अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय बनाए रखने के लिए अत्यधिक ध्यान रखें।
 7. रिमोट ई-मतदान का होम पेज खुलेगा। रिमोट ई-वोटिंग - एक्टिव वोटिंग साइकल्स पर क्लिक करें।
 8. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के "EVEN" (रिमोट ई-वोटिंग इवेंट नंबर) को सेलेक्ट करें। नंबर प्रविष्ट करने के बाद, मताधिकार का प्रयोग करें पेज खुलेगा।
 9. मताधिकार का प्रयोग करें नामक पेज खुलते ही अब आप रिमोट ई-मतदान के लिए तैयार हैं।
 10. अपने पसंद का विकल्प चुनते हुए और सबमिट पर क्लिक करते हुए अपना मतदान करें। कनफर्म का मेन्यू आते ही उस पर क्लिक करें। कृपया नोट करें कि आपका मतदान चयनित संकल्प पर किया गया है और उसे संशोधित नहीं किया जा सकेगा।
 11. कनफर्म करने के बाद, "Vote cast successfully" संदेश प्रदर्शित होगा।
 12. संस्थागत सदस्यों (यानी व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरी जो मतदान करने के लिए प्राधिकृत हैं, के हस्ताक्षर के अधिप्रमाणित नमूनों के साथ-साथ संबंधित मंडल संकल्प / प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति स्क्रीनशॉट को (pdf/jpg फॉर्मेट) gthirupal@gmail.com को तथा उसकी प्रति evoting@nsdl.co.in को ई-मेल द्वारा भेजनी है।
- II. ऐसे सदस्य जो शेयरों को डीमटीरियलीकृत रूप में धारित करते हैं और जिनके ई-मेल आईडी कंपनी / डिपोजिटरी सहभागियों के पास दर्ज नहीं हैं, ऐसे सदस्य जो शेयरों को भौतिक रूप में धारित करते हैं तथा ऐसे सदस्य जिन्होंने सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन की भौतिक प्रति का अनुरोध किया है, निम्नलिखित अनुरोध नोट करें -
1. वार्षिक सामान्य बैठक के लिए उपस्थिति पर्ची के नीचे प्रारंभिक पासवर्ड इस प्रकार दिया गया है -
EVEN (रिमोट ई वोटिंग इवेंट नंबर) **यूज़र आईडी पासवर्ड**
 2. अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कृपया उपर्युक्त (I) में क्र.सं. 1 से क्र.सं. 12 तक के सभी कदमों का पालन करें।
5. If you are logging for the first time, please enter the User ID and Password as initial password/PIN noted in step (1) above. Click Login.
 6. Password change menu appears. Change the password/PIN with new password of your choice with minimum 8 digits / characters or combination thereof. Note new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
 7. Home page of remote e-voting opens. Click on remote e-voting: Active Voting Cycles.
 8. Select "EVEN" (remote E-Voting Event Number) of Bharat Electronics Limited. Once you enter the number, the Cast Vote page will open.
 9. Now you are ready for remote e-voting as Cast Vote page opens.
 10. Cast your vote by selecting your favored option and clicking Submit. Also click Confirm when prompted. Please note that once your vote is cast on the selected resolution, it cannot be modified.
 11. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
 12. Institutional Members (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (pdf/jpg format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory(ies) who are authorised to vote, to the Scrutinizer through e-mail to gthirupal@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
- II. For Members holding shares in dematerialised form whose email IDs are not registered with the Company/Depository Participants, Members holding shares in physical form as well as those Members who have requested for a physical copy of the Notice and Annual Report, the following instructions may be noted :
1. Initial password is provided as below at the bottom of the Attendance Slip for the AGM:
EVEN (remote E-Voting Event Number) **USER ID**
PASSWORD
 2. Please follow all steps from Sr. No. 1 to Sr. No. 12 in (I) above, to cast vote.

सामान्य अनुदेश

1. यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड करने योग्य भाग में उपलब्ध सदस्यों के रिमोट ई-मतदान प्रयोक्ता मैनुअल का संदर्भ लें या फोन नंबर 022-24994600/1800222990 पर एनएसडीएल से संपर्क करें ।
2. रिमोट ई-मतदान वेबसाइट पर लॉगिन करते समय सही पासवर्ड डालने के लगातार पाँच असफल प्रयासों के बाद वेबसाइट निष्क्रिय हो जाएगी । ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड दोबारा सेट करने के लिए साइट में उपलब्ध 'Forgot Password' विकल्प से आगे बढ़ना होगा ।
3. यदि आप रिमोट ई-मतदान करने के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आप अपने विद्यमान यूजर आईडी और पासवर्ड/पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं ।
4. आप फोलियो के यूजर प्रोफाइल ब्यौरे में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतन भी कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल भावी सम्प्रेषण भेजने के लिए किया जा सकता है ।
5. रिमोट ई-मतदान की अवधि 19 सितंबर, 2016 (सुबह 9 बजे) से शुरू होगी और 21 सितंबर, 2016 (अपराह्न 5 बजे) को समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य जो शेयरों को भौतिक रूप में या डीमटीरियलीकृत रूप में धारित करते हैं, 15 सितंबर 2016 की निर्दिष्ट तारीख को, अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं । उसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-मतदान का मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा । सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर मतदान का प्रयोग कर लिए जाने के बाद, सदस्यों को उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी ।
6. सदस्यों के मतदान अधिकार 15 सितंबर, 2016 की निर्दिष्ट तारीख को कंपनी की चुकता साम्या शेयर पूँजी के उनके हिस्से के अनुपात में होंगे ।
7. कोई व्यक्ति जो नोटिस को भेजने के बाद कंपनी के शेयर अर्जित करते हैं और सदस्य बनते हैं और निर्दिष्ट तारीख यानी 15 सितंबर, 2016 को शेयर धारित करते हैं, को अनुरोध भेजते हुए या एनएसडीएल के श्री राजीव रंजन को टॉल फ्री नंबर 1800222990 पर संपर्क करते हुए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं ।
8. कंपनी ने रिमोट ई-मतदान की प्रक्रिया की उचित एवं पारदर्शी ढंग से छानबीन करने के लिए श्री तिरुपाल गोरिजे, एफसीएस 6680, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को स्क्रीटिनाइजर नियुक्त किया है ।
9. वार्षिक सामान्य बैठक में, संकल्प जिन पर मतदान किया जाना है, के बारे में चर्चा की समाप्ति पर, अध्यक्ष, स्क्रीटिनाइजर की सहायता से ऐसे सभी सदस्यों के लिए जो उपस्थित हैं लेकिन जिन्होंने रिमोट ई-मतदान सुविधा का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान नहीं किया है, मतपत्र के माध्यम से मतदान का आदेश देंगे ।

General Instructions

1. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and remote e-voting user manual for members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the phone No.022-24994600/1800222990.
2. Login to the remote e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the 'Forgot Password' option available on the site to reset the password.
3. If you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote.
4. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).
5. The remote e-voting period commences on 19 September 2016 (9:00 A.M.) and ends on 21 September 2016 (5:00 P.M.). During this period Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the Cutoff date of 15 September 2016, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
6. The voting rights of Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on the Cutoff date of 15 September 2016.
7. Any person who acquires shares of the company and becomes a member after dispatch of the notice and holding shares as on the Cutoff date i.e. 15 September 2016, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or contact Mr Rajiv Ranjan of NSDL at toll free no. 1800222990.
8. The Company has appointed Mr Thirupal Gorige, FCS 6680, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner.
9. At the AGM, at the end of the discussion on the resolutions on which voting is to be held, the Chairman shall, with the assistance of the Scrutinizer, order voting through ballot paper for all those Members who are present but have not cast their votes electronically using the remote e-voting facility.

10. वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान पूरा होने के तुरंत बाद, स्क्यूटिनाइजर वार्षिक सामान्य बैठक में किए गए मतदान की गणना करेंगे और तदुपरांत कम से कम दो गवाह, जो कंपनी के नियोजन में नहीं हैं, की उपस्थिति में रिमोट ई-मतदान के माध्यम से किए गए मतदान को खोलेंगे। स्क्यूटिनाइजर वार्षिक सामान्य बैठक की समाप्ति के बाद अधिकतम तीन दिनों के भीतर, पक्ष या विपक्ष, यदि कोई हो, में डाले गए कुल मतों की समेकित स्क्यूटिनाइजर रिपोर्ट कंपनी के अध्यक्ष को पेश करेंगे। अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति किए गए मतदान के नतीजों की घोषणा करेंगे।
11. अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा नतीजों की घोषणा करने के तुरंत बाद स्क्यूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ-साथ इन नतीजों को कंपनी की वेबसाइट, www.bel-india.com पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर लगाए जाएंगे और इसकी सूचना बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी जाएगी।

सूचना का संलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तारतम्य में व्याख्यात्मक विवरण।

मद सं. 5-9 के संबंध में

चूंकि आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसके मंडल के निदेशक भारत सरकार (सरकार) द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

सरकार के पत्र दिनांक 26 अगस्त 2015 और 2 दिसम्बर, 2015 देखें, जिसमें क्रमशः श्रीमती कुसुम सिंह, संयुक्त सचिव (पी एंड सी), रक्षा मंत्रालय और डॉ भास्कर राममूर्ति, डॉ आर के शेवगांवकर एवं श्रीमती उषा माथुर को कंपनी के मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

साथ ही सरकार के पत्र दिनांक 7 जनवरी 2016 देखें, जिसके माध्यम से श्री शरद संघी को आगे आदेश आने तक बीईएल के मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 (1) तथा कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 71सी के तारतम्य में, निदेशक मंडल ने उक्त व्यक्तियों को अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि तक पदधारित करने के लिए अतिरिक्त निदेशकों के रूप में नियुक्त किया है।

तदुपरांत, कंपनी ने अधिनियम की धारा 160 के तहत कंपनी के निदेशक के रूप में उपर्युक्त अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव करने के अपने आशय को दर्शाते हुए सदस्यों से लिखित सूचना और ₹ 1,00,000/- की जमा राशि प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग सूचना देते हुए प्राप्त की है।

10. The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the AGM, count the votes cast at the AGM and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in employment of the Company. The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favor of or against, if any, not later than three days after the conclusion of the AGM to the Chairman of the Company. The Chairman, or any other person authorized by the Chairman, shall declare the result of the voting forthwith.
11. The result, along with the Scrutinizer's Report, will be placed on the Company's website, www.bel-india.com and on the website of NSDL immediately after the result is declared by the Chairman or any other person authorised by the Chairman, and the same shall be communicated to the Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange of India Limited.

ANNEXURE TO THE NOTICE

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

In respect of item No's 5-9

Your Company being a Government Company, the Directors on the Board are appointed by the Government of India (the Government).

The Government has vide its letter's dated 26 August 2015 & 2 December 2015 appointed Mrs Kusum Singh, Joint Secretary (P&C), Ministry of Defence and Dr Bhaskar Ramamurthi, Dr R K Shevgaonkar & Mrs Usha Mathur respectively as Part-time Non Official Directors on the Board of the Company.

The Government has also vide its letter dated 7 January 2016 appointed Mr Sharad Sanghi as Part-time Non official Director on the BEL Board till further orders.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed aforesaid individuals as Additional Directors, to hold office upto the date of the next Annual General Meeting.

Subsequently, the Company has received notices in writing under Section 160 of the Act from members signifying their intention to propose the appointment of aforesaid additional directors as Director of the Company and a deposit of ₹ 100,000/- has been received along with the notice for each individual separately.

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 36(3) के तहत अपेक्षित उक्त निदेशकों के संक्षिप्त जीवन-वृत्त संलग्न है। आपके निदेशक महसूस करते हैं नए निदेशकों के ज्ञान तथा समृद्ध अनुभव से कंपनी को अत्यधिक लाभ होगा और तदनुसार सूचना की मद सं. 5-9 में प्रस्तावित संकल्प पारित करने की संस्तुति करते हैं।

कंपनी के कोई भी निदेशक (उपर्युक्त संदर्भित व्यक्तियों की नियुक्ति संबंधी उनके संकल्पों के संदर्भ में ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों को छोड़कर) तथा कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार मद सं. 5-9 में दिए गए संकल्प में किसी भी प्रकार से संबद्ध या इच्छुक नहीं है।

मद सं. 10 के संबंध में -

सरकार का पत्र दिनांक 26 फरवरी 2016 देखें, जिसके माध्यम से श्री गिरीश कुमार को आगे आदेश आने तक बीईएल के मंडल में निदेशक (बंगलूरु कॉम्प्लेक्स) के रूप में नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 (1) तथा कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 71सी के तारतम्य में, निदेशक मंडल ने श्री गिरीश कुमार को अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि तक पदधारित करने के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

तदुपरांत, कंपनी ने अधिनियम की धारा 160 के तहत कंपनी के निदेशक के रूप में उपर्युक्त व्यक्ति की नियुक्ति का प्रस्ताव करने के अपने आशय को दर्शाते हुए एक सदस्य से लिखित सूचना और ₹ 1,00,000/- (₹ एक लाख मात्र) की जमा राशि इस सूचना के साथ प्राप्त की है।

श्री गिरीश कुमार का संक्षिप्त जीवन-वृत्त जिसे सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार शेरधारकों को अग्रेषित किया जाना है, संलग्न है। आपके निदेशक महसूस करते हैं नए निदेशक के ज्ञान तथा समृद्ध अनुभव से कंपनी को अत्यधिक लाभ होगा और तदनुसार इस सूचना की मद सं. 5-9 में प्रस्तावित संकल्प पारित करने की संस्तुति करते हैं।

कंपनी के कोई भी निदेशक (श्री गिरीश कुमार को छोड़कर) तथा कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की सूचना की मद सं. 10 में दिए गए संकल्प में किसी भी प्रकार से संबद्ध या इच्छुक नहीं है।

मद सं. 11 के संबंध में -

सरकार का पत्र दिनांक 18 फरवरी 2016 देखें, जिसमें श्री नटराज कृष्णप्पा को आगे आदेश दिए जाने तक बीईएल के मंडल में अतिरिक्त निदेशक (निदेशक, अन्य यूनिटें) के रूप में नियुक्त किया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161 (1) तथा कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 71सी के तारतम्य में, निदेशक मंडल ने श्री नटराज कृष्णप्पा को अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि तक पदधारित करने के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

Brief resume of the aforesaid Directors as required under Reg. 36(3) of SEBI (LODR) regulations 2015 is enclosed. Your Directors feel that the Company would immensely benefit from the knowledge and rich experience possessed by the new Directors and accordingly recommend the passing of the resolutions proposed at item No' 5-9 of the Notice.

None of the Directors (other than the individuals referred above with reference to respective resolutions concerning their appointment) and Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is in any way concerned or interested in the resolutions set out at item No's 5-9 of the notice of this meeting.

In respect of item No.10 :

The Government has vide its letter dated 26 February 2016 appointed Mr Girish Kumar as Director (Bangalore Complex) on the BEL Board till further orders.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mr Girish Kumar, as Additional Director, to hold office upto the date of the next Annual General Meeting.

Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a member signifying his intention to propose the appointment of above said person as Director of the Company and a deposit of ₹ 100,000/- has been received along with the notice.

Brief resume of Mr Girish kumar, required to be forwarded to the Shareholders as per Reg. 36(3) of SEBI (LODR) regulations 2015 is enclosed. Your Directors feel that the Company would immensely benefit from the knowledge and rich experience possessed by the new Director and accordingly recommend the passing of the resolution proposed at item No. 10 of the Notice.

None of the Directors (other than Mr Girish Kumar) and Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is in any way concerned or interested in the resolution set out at item No. 10 of the notice of this meeting.

In respect of item No.11

The Government has vide its letter dated 18 February 2016 appointed Mr Nataraj Krishnappa, as Additional Director (Director, Other Units) on the BEL Board till further orders.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mr Nataraj Krishnappa, as Additional Director, to hold office upto the date of the next Annual General Meeting.

तदुपरांत, कंपनी ने अधिनियम की धारा 160 के तहत कंपनी के निदेशक के रूप में उपर्युक्त व्यक्ति की नियुक्ति का प्रस्ताव करने के अपने आशय को दर्शाते हुए लिखित सूचना और ₹ 1,00,000/- (₹ एक लाख मात्र) की जमा राशि इस सूचना के साथ प्राप्त की है।

श्री नटराज कृष्णा का संक्षिप्त जीवन-वृत्त जिसे सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार शेरधारकों को अग्रोषित किया जाना है, संलग्न है। आपके निदेशक महसूस करते हैं नए निदेशक के ज्ञान तथा समृद्ध अनुभव से कंपनी को अत्यधिक लाभ होगा और तदनुसार इस सूचना की मद सं. 11 में प्रस्तावित संकल्प पारित करने की संस्तुति करते हैं।

कंपनी के कोई भी निदेशक (श्री नटराज कृष्णा को छोड़कर) तथा कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार मद सं. 11 में दिए गए संकल्प में किसी भी प्रकार से संबंध या इच्छुक नहीं है।

मद सं. 12 के संबंध में -

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) जिसे कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक नियम), 2014 (नियम) के नियम 14 के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल लेखा परीक्षा समिति, जो लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक की भी सिफारिश करेगी, की सिफारिश पर लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। इस नियम में यह आवश्यकता भी बताई गई है कि लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन बाद में सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, बीईएल के निदेशक मंडल ने मे. जीएनवी एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार, बेंगलूरु को इस संकल्प में यथा दर्शित निबंधनों /पारिश्रमिक पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी की लागत लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। अधिनियम की धारा 148(3) जिसे कंपनी (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत यथा अपेक्षित, निदेशक मंडल द्वारा तय किए गए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को अनुसमर्थन के लिए सदस्यों के समक्ष पेश किया जाता है।

कंपनी के कोई भी निदेशक तथा कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की नोटिस के मद सं. 12 में दिए गए संकल्प में किसी भी प्रकार से संबंध या इच्छुक नहीं है।

Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a member signifying his intention to propose the appointment of above said person as Director of the Company and a deposit of ₹ 100,000/- has been received along with the notice.

Brief resume of Mr Nataraj Krishnappa, required to be forwarded to the Shareholders as per Reg. 36(3) of SEBI (LODR) regulations 2015 is enclosed. Your Directors feel that the Company would immensely benefit from the knowledge and rich experience possessed by the new Director and accordingly recommend the passing of the resolution proposed at item No. 11 of the Notice.

None of the Directors (other than Mr Nataraj Krishnappa) and Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is in any way concerned or interested in the resolution set out at item No. 11 of the notice of this meeting.

In respect of item No.12

As per Section 148(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 14 of Companies (Audit and Auditors Rules), 2014 (the Rules), the Board of Directors of the Company shall appoint the Cost Auditor on the recommendation of the Audit Committee, which shall also recommend remuneration for the Cost Auditor. The rule also requires that the remuneration of the Cost Auditor shall be ratified by the members subsequently.

As recommended by the Audit Committee, BEL Board of Directors appointed M/s GNV & Associates, Cost Accountants, Bengaluru to conduct cost audit of the Company for the financial year 2016-17 on the terms / remuneration as indicated in the resolution. As required under Section 148(3) of the Act, read with Rule 14 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, the remuneration of the cost auditors, fixed by the Board of Directors, is placed before the members for ratification.

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is in any way concerned or interested in the resolution set out at item No.12 of the notice of this meeting.

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के तहत यथा अपेक्षित, नियुक्ति / पुनःनियुक्ति के लिए संयुक्त निदेशकों की अतिरिक्त जानकारी

पुनः नियुक्ति

श्री एम एल षणमुख (डीआईएन 00058949), निदेशक (मानव संसाधन)

श्री एम एल षणमुख अगस्त, 2004 से निदेशक (मानव संसाधन) हैं। बीईएल के मंडल में उच्च पद पर आने से पहले श्री षणमुख कौनकोर (कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया) जो कि रेल मंत्रालय के तहत एक ब्लू चिप पीएसयू है, में ग्रुप महाप्रबंधक (एचआरडी) थे। उससे पहले वे केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कार्पोरेशन लिमिटेड में कार्यरत थे। वे मानव संसाधन प्रबंधन, औद्योगिक संबंध और कल्याण के क्षेत्रों में अत्यंत अनुभवी हैं। अपने कार्य के सिलसिले में श्री षणमुख ने व्यापक यात्राएँ की हैं। रॉयल नीदरलैंड सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एक तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत उन्होंने रोट्टरडम, कृआलालपुर, बैंकॉक और सिंगापुर में मानव संसाधन विकास पद्धतियों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वे अर्थशास्त्र में बी.ए., एल.एल.बी. और कार्मिक तथा औद्योगिक संबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त हैं।

निदेशकों के बीच परस्पर संबंधों का प्रकटन - कुछ नहीं

सूचीबद्ध कंपनियों (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को छोड़कर) जिनमें श्री एम एल षणमुख निदेशक और समिति सदस्य हैं -

निदेशक -

कोई नहीं

मंडल की समितियों में सदस्य -

कोई नहीं

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में श्रेयधारण -

कोई नहीं

नियुक्ति

श्रीमती कुसुम सिंह (डीआईएन 06489228), सरकारी निदेशक

श्रीमती कुसुम सिंह 1984 बैच की भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (आईआरपीएस) की एक प्रतिष्ठित अधिकारी हैं जिन्होंने 30 वर्षों से अधिक अवधि का कार्य अनुभव है। वे दिल्ली स्कूल ऑफ एकाडमिक्स से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। श्रीमती कुसुम सिंह ने रेल मंत्रालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। संयुक्त सचिव (कार्मिक एवं समन्वयन), रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के पद पर आने से पहले वे रेल सूचना प्रणाली केन्द्र (सीआरआईएस) में महाप्रबंधक थीं।

Additional information of directors recommended for appointment/ re-appointment as required Reg. 36(3) of SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Re-Appointment

Mr M L Shanmukh (DIN 00058949), Director (Human Resources)

Mr M L Shanmukh has been Director (Human Resources) from August 2004. Before being elevated to the BEL Board, Mr Shanmukh was Group General Manager (HRD) at CONCOR (Container Corporation of India), a blue chip PSU under the Ministry of Railways. Prior to that, he had worked in the Kerala State Electronics Development Corporation Limited. He brings with him a wealth of experience in the fields of Human Resources Management, Industrial Relations and Welfare. Mr Shanmukh has travelled widely in the course of his work. He has undergone special training in Human Resource Development Practices at Rotterdam, Kuala Lumpur, Bangkok and Singapore under a Technical Assistance Programme aided by the Royal Netherlands Government. He holds a BA in Economics, LLB and Post Graduate Diploma in Personnel and Industrial Relations.

Disclosure of relationships between directors inter-se - Nil

Listed Companies (other than Bharat Electronics Limited) in which Mr M L Shanmukh holds Directorship and Committee Membership.

Directorship :

Nil

Member of Board Committees :

Nil

Shareholding in Bharat Electronics Limited :

Nil

Appointment

Mrs Kusum Singh (DIN 06489228), Govt. Director

Mrs Kusum Singh is a distinguished Indian Railway Personnel Services (IRPS) Officer of the 1984 batch with over 30 years of experience. She is a Post Graduate in MA Economics from the Delhi School of Economics. Mrs Kusum Singh has held various positions with the Ministry of Railways. She was General Manager at the Centre for Railway Information Systems (CRIS) before moving to the Department of Defence Production, Ministry of Defence, as Joint Secretary (Personnel & Coordination).

निदेशकों के बीच परस्पर संबंधों का प्रकटण - कुछ नहीं

सूचीबद्ध कंपनियाँ (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को छोड़कर) जिनमें श्रीमती कुसुम सिंह निदेशक और समिति सदस्य हैं -

निदेशक -

कोई नहीं

मंडल की समितियों में सदस्य -

कोई नहीं

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में शेरधारण-

कोई नहीं

डॉ भास्कर राममूर्ति (डीआईएन 01914155), स्वतंत्र निदेशक

डॉ भास्कर राममूर्ति वर्तमान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आईआईटी, मद्रास के भूतपूर्व छात्र, डॉ राममूर्ति ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से अपनी एमएस पूरी करने के बाद इलेक्ट्रिकल तथा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पीएच.डी की पढ़ाई पूरा करने के लिए विदेश यात्राएं की। उन्होंने यूएस में एटी एंड टी बेल प्रयोगशाला, न्यू जर्सी से अपने करियर की शुरुआत की। डॉ राममूर्ति ने 1986 में अपने मातृ संस्थान में वापसी की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यग्रहण किया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार और फेलोशिप से सम्मानित किया गया। डॉ राममूर्ति भारत तथा 15 अन्य देशों में लगाई गई कोरडेक्ट वायरलेस लोकल लूप प्रणाली तथा ब्राडबैंड कोरडेक्ट वायरलेस डीएसएल प्रणाली के मुख्य आर्किटेक्ट है। अपने अग्रणी अनुसंधान कार्यकलापों के लिए अपने सहयोगकर्ताओं के साथ-साथ उन्हें 21 पेटेंट का श्रेय प्राप्त है। डॉ राममूर्ति अनेक राष्ट्रीय समितियों के भी सदस्य हैं - जैसे आईएलडी वीओआईपी सेवाओं की टीआरएआई की क्यूओएस विनिर्देश समिति, सेवा प्रदाताओं को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आबंटन के लिए मानदंडों की सिफारिश करने हेतु डीओटी, भारत सरकार की स्पेक्ट्रम समिति। उनके 28 जर्नल पत्र तथा 87 सम्मेलन कार्यक्रम के पत्र प्रकाशित हो चुके हैं।

निदेशकों के बीच परस्पर संबंधों का प्रकटण - कुछ नहीं

सूचीबद्ध कंपनियाँ (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को छोड़कर) जिनमें डॉ भास्कर राममूर्ति निदेशक और समिति सदस्य हैं-

निदेशक -

कोई नहीं

मंडल की समितियों में सदस्य -

कोई नहीं

Disclosure of relationships between directors inter-se - Nil

Listed Companies (other than Bharat Electronics Limited) in which Mrs Kusum Singh holds Directorship and Committee Membership.

Directorship :

Nil

Member of Board Committees :

Nil

Shareholding in Bharat Electronics Limited :

Nil

Dr Bhaskar Ramamurthi (DIN 01914155), Independent Director

Dr Bhaskar Ramamurthi is presently serving as Director, Indian Institute of Technology, Madras. An alumnus of IIT, Madras, Dr Ramamurthi travelled overseas to complete his MS, and subsequently, Ph.D in Electrical and Computer Engineering from the University of California. He flagged off his career in the US with AT&T Bell Laboratories, New Jersey. Dr Ramamurthi returned to his alma mater in 1986 and joined the Department of Electrical Engineering as Assistant Professor. He has been honoured with various awards and fellowships for his outstanding contributions. Dr Ramamurthi is the Principal Architect of corDECT Wireless Local Loop System and Broadband cor DECT Wireless DSL System, widely deployed in India and 15 other countries. He holds 21 patents along with his collaborators for his pioneering research activities. Dr Ramamurthi is also a Member of several national committees such as the QoS Specifications Committee of TRAI for ILD VoIP Services, Spectrum Committees of the DoT, Government of India, to recommend norms for additional spectrum allocation to service providers. He has published 28 journal papers and 87 conference proceedings papers.

Disclosure of relationships between directors inter-se - Nil

Listed Companies (other than Bharat Electronics Limited) in which Dr Bhaskar Ramamurthi holds Directorship and Committee Membership

Directorship :

Nil

Member of Board Committees :

Nil

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में शेयरधारण-

कोई नहीं

डॉ आर के शेवगांवकर (डीआईएन 01500448), स्वतंत्र निदेशक

डॉ आर के शेवगांवकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे के वैद्युत अभियांत्रिकी विभाग में प्रोफेसर हैं। वे आईआईटी, बॉम्बे के भूतपूर्व छात्र हैं जहाँ उन्होंने वैद्युत अभियांत्रिकी में पीएच.डी की और उप निदेशक (वित्त व बाहरी मामले) तथा डीन (संसाधन संग्रहण) जैसे विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने निदेशक, आईआईटी, दिल्ली और पुणे यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में अपनी सेवाएँ दी। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार और फ़ेलोशिप से सम्मानित किया गया। उन्होंने 2 पुस्तकें प्रकाशित की और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल और सम्मेलनों में 170 लेख प्रस्तुत किए।

निदेशकों के बीच परस्पर संबंधों का प्रकटन - कुछ नहीं

कंपनियाँ (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को छोड़कर) जिनमें डॉ आर के शेवगांवकर निदेशक और समिति सदस्य हैं-

निदेशक -

कोई नहीं

मंडल की समितियों में सदस्य -

कोई नहीं

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में शेयरधारण -

कोई नहीं

श्रीमती उषा माथुर (डीआईएन 07382132), स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती उषा माथुर 1974 बैच की सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी हैं और एलएलबी तथा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं। रेल मंत्रालय में अतिरिक्त सदस्य (रेलवे बोर्ड) सहित विभिन्न पदों को धारित करते हुए 36 वर्षों के अनुभव के साथ, वर्ष 2011 में संसदीय मामले मंत्रालय में भारत सरकार की सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुईं। वे योजना, विनिर्माण तथा प्रापण नीति, वित्तीय संरचनाओं के निर्माण / सुपुर्दगी प्रणाली जैसे- जेवी/एसपीवी, बीओटी तथा अन्य पीपीपी समाधान में शामिल थीं। उन्होंने व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) में भी काम किया है। वे सीपीएसई तथा प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ एमओयू वार्ता करने के लिए वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के लिए गठित कार्य बल की सदस्य थीं।

निदेशकों के बीच परस्पर संबंधों का प्रकटन - कुछ नहीं

कंपनियाँ (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को छोड़कर) जिनमें श्रीमती उषा माथुर निदेशक और समिति सदस्य हैं-

Shareholding in Bharat Electronics Limited :

Nil

Dr R K Shevgaonkar (DIN 01500448), Independent Director

Dr R K Shevgaonkar is a Professor in the Department of Electrical Engineering, Indian Institute of Technology, Bombay. He is an alumnus of IIT, Bombay, where he completed his Ph.D in Electrical Engineering and held various positions such as Deputy Director (Finance and External Affairs) and Dean (Resource Mobilisation). He served as Director, IIT, Delhi, and Vice Chancellor of the University of Pune. He has been honoured with various awards and fellowships for his outstanding contributions. He has published 2 books and 170 papers in international journals and conferences.

Disclosure of relationships between directors inter-se - Nil

Listed Companies (other than Bharat Electronics Limited) in which Dr R K Shevgaonkar holds Directorship and Committee Membership.

Directorship :

Nil

Member of Board Committees :

Nil

Shareholding in Bharat Electronics Limited :

Nil

Mrs Usha Mathur (DIN 07382132), Independent Director

Mrs Usha Mathur, retired IRAS officer of the 1974 batch, holds an LLB and Masters Degree in Economics. She retired as Secretary to the Government of India in the Ministry of Parliamentary Affairs in 2011 with 36 years of experience, having held various positions in the Ministry of Railways including Additional Member (Railway Board). She was involved in Planning, Manufacturing and Procurement policy, formulation of financing structures/delivery mechanisms like JVs/SPVs, BOT and other PPP solutions. She has also worked in the Department of Expenditure (Ministry of Finance). She was a Member, Task Force, for 2013-14 & 2014-15, constituted by DPE, for MoU negotiations with CPSEs & administrative ministries.

Disclosure of relationships between directors inter-se - Nil

Listed Companies (other than Bharat Electronics Limited) in which Mrs Usha Mathur holds Directorship and Committee Membership.

निदेशक -

कोई नहीं

मंडल की समितियों में सदस्य -

कोई नहीं

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में श्रेयधारण -

कोई नहीं

श्री शरद सांघी (डीआईएन 00265977), स्वतंत्र निदेशक

श्री शरद सांघी नेटमैजिक साल्यूशन्स के सीईओ हैं जिसकी स्थापना उन्होंने जुलाई 1998 में की थी और जो अब एक एनटीटी संचार कंपनी है। श्री शरद आईआईटी बॉम्बे से वैद्युत इंजीनियर हैं और कोलम्बिया यूनिवर्सिटी, न्यू यॉर्क से स्नातकोत्तर डिग्री धारक भी हैं। वे इस उद्योग के वरिष्ठ उद्यमी हैं जिन्हें इंटरनेट की आधारभूत अवसंरचना विकसित करने और इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करने में 20 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। यूएस में छः वर्षों की अवधि के दौरान श्री शरद ने एटी एंड टी बेल लैब में यूनीफाइड नेटवर्क मैनेजमेंट आर्किटेक्चर जो एनएसएफएनईटी (एएनएस) का आधारभूत इंजीनियरी ग्रुप है और एडवान्टिस (आईबीएम ग्लोबल नेटवर्क) के रूटर सिस्टम विकास ग्रुप में काम किया।

निदेशकों के बीच परस्पर संबंधों का प्रकटण - कुछ नहीं

कंपनियाँ (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को छोड़कर) जिनमें श्री शरद सांघी निदेशक और समिति सदस्य हैं -

निदेशक -

कोई नहीं

मंडल की समितियों में सदस्य -

कोई नहीं

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में श्रेयधारण -

कोई नहीं

श्री गिरीश कुमार (डीआईएन 07506008), निदेशक (बेंगलूरू कॉम्प्लेक्स)

श्री गिरीश कुमार ने 1 मई, 2016 को निदेशक (बेंगलूरू कॉम्प्लेक्स) का कार्यभार संभाला। इस पदोन्नति से पहले कार्यपालक निदेशक (रेडार) तथा बीईएल गाज़ियाबाद के यूनिट प्रमुख थे। श्री गिरीश कुमार ने एमआईटीएस, ग्वालियर से बी.ई. (मेकेनिकल) की पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 1979 में बीईएल - गाज़ियाबाद में परिवीक्षाधीन इंजीनियर के रूप में कार्यग्रहण किया। अगले 30 वर्षों की अवधि के दौरान, उन्होंने कंपनी की गाज़ियाबाद, कोटद्वार तथा बेंगलूरू यूनिटों में कार्य किया और उत्पादन, सामग्री प्रबंधन, गुणता प्रबंधन तथा सेवा प्रभागों का नेतृत्व किया। अगस्त 2009 में, वे बीईएल के निर्यात विनिर्माण एसबीयू में महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत हुए। वर्ष 2010 में समग्र गुणता प्रबंधन (टीक्यूएम) का

Directorship :

Nil

Member of Board Committees :

Nil

Shareholding in Bharat Electronics Limited :

Nil

Mr Sharad Sanghi (DIN 00265977), Independent Director

Mr Sharad Sanghi is the CEO of Netmagic Solutions, which he founded in July 1998 and is now an NTT Communications Company. Mr Sharad is an Electrical Engineer from IIT Bombay who also holds a Masters degree from Columbia University, New York. He is an industry veteran with over 20 years of extensive experience in developing Internet backbone infrastructure and providing Internet services. During his six-year stint in the US, Mr Sharad worked for the Unified Network Management Architecture Group at AT&T Bell Labs, the backbone engineering group of NSFNET (ANS) and the router systems development group of Advantis (IBM Global Network).

Disclosure of relationships between directors inter-se - Nil

Listed Companies (other than Bharat Electronics Limited) in which Mr Sharad Sanghi holds Directorship and Committee Membership

Directorship :

Nil

Member of Board Committees :

Nil

Shareholding in Bharat Electronics Limited :

Nil

Mr Girish kumar (DIN 07506008), Director (Bangalore Complex)

Mr Girish Kumar took charge as Director (Bangalore Complex) on 1 May 2016. He was Executive Director (Radar) & Unit Head of BEL-Ghaziabad Unit prior to his elevation. Mr Girish Kumar joined BEL-Ghaziabad as a Probationary Engineer in 1979 after completing his BE (Mech.) from MITS, Gwalior. Over a period of next 30 years, he worked in Ghaziabad, Kotdwara and Bengaluru Units of the Company and headed Production, Materials Management, Quality Management and Services Divisions. In August 2009, he was elevated as General Manager of BEL's Export Manufacturing SBU. He was transferred to

नेतृत्व करने के लिए उन्हें कार्पोरेट कार्यालय को स्थानांतरित किया गया। जून 2011 में, उनकी तैनाती बीईएल - बेंगलूरु में महाप्रबंधक (मा.सं.) के रूप में हुई। जुलाई 2012 में, उन्हें महाप्रबंधक (रेडार) और यूनिट प्रमुख के रूप में वापस गाज़ियाबाद यूनिट में पदस्थ किया गया। उनके नेतृत्व में यूनिट को कारोबार उत्कृष्टता के लिए सी.आई.आई. एक्जिम बैंक अवार्ड का दूसरे स्तर प्रदान किया गया और साथ ही सी.एम.एम.आई. स्तर 3 के लिए प्रमाणित भी किया गया। श्री गिरीश कुमार आईएसओ 9001:2000 तथा कारोबारी उत्कृष्टता के एक योग्यता प्राप्त मूल्यांकक है। जुलाई 2008 में उन्होंने टीक्यूएम पर जेपेनीस साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स यूनियन (जेयूसई) अध्ययन मिशन में भाग लिया। उन्होंने आईएसओ 9000 पर एक पुस्तक लिखी जो 1996 में प्रकाशित हुई। श्री गिरीश कुमार पर प्रो टी वी राव ने अपनी पुस्तक "100 मैनेजर्स इन एक्शन" में चर्चा की है। उन्हें लंबी यात्रा करना और साहित्य पढ़ना पसंद है।

निदेशकों के बीच परस्पर संबंधों का प्रकटन - कुछ नहीं

कंपनियाँ (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को छोड़कर) जिनमें श्री गिरीश कुमार निदेशक और समिति सदस्य हैं -

निदेशक -

कोई नहीं

मंडल की समितियों में सदस्य -

कोई नहीं

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में शेरधारण -

कोई नहीं

श्री नटराज कृष्णाप्पा (डीआईएन 07506012), निदेशक (अन्य यूनिटें)

श्री नटराज कृष्णाप्पा, ने 1 मई, 2016 को निदेशक (अन्य यूनिटें), का कार्यभार संभाला। अपनी पदोन्नति से पूर्व वे बीईएल- बेंगलूरु में महाप्रबंधक (मिसाइल प्रणाली) के रूप में कार्यरत थे। वर्ष 1986 में मैसूर विश्वविद्यालय के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से मेकेनिकल इंजीनियरी में स्नातक करने के बाद श्री नटराज कृष्णाप्पा ने 1 मार्च, 1984 को बीईएल - गाज़ियाबाद में कार्यग्रहण किया। वर्ष 1986 में, उन्हें बीईएल की पंचकुला यूनिट में स्थानांतरित किया गया जहां उन्होंने 15 वर्षों तक सेवा प्रदान की। पंचकुला यूनिट उस दौरान अपनी निर्माणी चरण में थी, और वे यूनिट में तैनात किए गए इंजीनियरों की पहली बैच में थे। उन्होंने अनेक विभागों में काम किया और विनिर्माण तथा खरीद संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी रहे। उन्होंने उत्पाद ग्रुप-I का नेतृत्व किया और एक्रिप्शन उत्पादों के साथ-साथ हैंडहेल्ड रेडियो और स्टार्स V मैनपैक रेडियो जैसे संचार उपकरणों के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया। वर्ष 2000 में, उन्हें बीईक्यूआई में सिक्स सिग्मा प्रोग्राम के लिए नामित किया गया था और तदुपरांत उन्होंने स्टार्स V रेडियो के क्रिप्टो कार्ड की रीफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया के इष्टतमीकरण में परियोजना पूरी की। वर्ष 2001 में, उन्हें कार्पोरेट टॉर्क में स्थानांतरित किया गया और बीईएल की अन्य यूनिटों के लिए सिक्स सिग्मा का समन्वयक नामित किया गया। उन्होंने बीईएल में कारोबारी उत्कृष्टता की यात्रा को संस्थापित करने के लिए कार्य किया। इस अवधि के दौरान, उन्होंने संगठन में कर्मचारी तृष्टिकरण

Corporate Office to head Total Quality Management (TQM) in 2010. In June 2011, he was posted as General Manager (HR) at BEL-Bengaluru. In July 2012, he moved to Ghaziabad Unit as GM (Radar) & Unit Head. Under his leadership, the Unit was awarded second level in the CII Exim Bank Award for Business Excellence and was also certified for CMMI level 3. Mr Girish Kumar is a qualified assessor for ISO 9001:2000 and Business Excellence. He has participated in the Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) study mission on TQM in July 2008. He has authored a book on ISO 9000 which was published in 1996. He has been profiled by Prof T V Rao in the book "100 Managers in Action". He is keen on trekking and literature.

Disclosure of relationships between directors inter-se - Nil

Listed Companies (other than Bharat Electronics Limited) in which Mr Girish Kumar holds Directorship and Committee Membership.

Directorship :

Nil

Member of Board Committees :

Nil

Shareholding in Bharat Electronics Limited :

Nil

Mr Nataraj Krishnappa (DIN 07506012), Director (Other Units)

Mr Nataraj Krishnappa took charge as Director (Other Units) on 1 May 2016. He was GM (Missile System) at BEL-Bengaluru before his elevation. Mr Nataraj Krishnappa joined BEL-Ghaziabad on 1 March 1984, after graduating in Mechanical Engineering from the National Institute of Engineering, University of Mysore. In 1986, he was transferred to BEL's Panchkula Unit, where he put in 15 years of service. Panchkula Unit was in its formative stage and he belongs to the first batch of engineers to be posted to the unit. He has worked in various departments responsible for manufacturing and procurement functions. He headed Product Group-I and has made significant contributions to the manufacture of Communication equipment such as Handheld Radio and STARS V Manpack Radio as well as Encryption products. In the year 2000, he was nominated for the Six Sigma programme in BEQI and subsequently did a project in optimising the reflow soldering process of the Crypto Card of STARS V Radio. In 2001, he was transferred to Corporate TORQUE and nominated Six Sigma Co-ordinator for the Other Units of BEL. He worked towards institutionalising

सर्वेक्षण करने के लिए मा.सं. के सलाहकारों के साथ गहनता से कार्य किया। जून, 2008 में, उन्हें आकाश मिसाइल सिस्टम के परियोजना प्रमुख के रूप में सैन्य रेडार एसबीयू को स्थानांतरित किया गया। श्री नटराज कृष्णप्पा, जो पीएमआई, यूएसए से पीएमपी हैं, ने आकाश मिसाइल सिस्टम परियोजना को निष्पादित करते समय परियोजना प्रबंधन की अवधारणाओं का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। देश में पहली बार एकीकृत आकाश मिसाइल सिस्टम विश्व स्तरीय सतह से वायु मिसाइल प्रणाली है जिसे भारतीय वायु सेना और भारतीय थलसेना दोनों में शामिल किया गया। निदेशक (अन्य यूनिटें) के रूप में पदोन्नत होने से पहले वे बीईएल के बेंगलूरू कॉम्प्लेक्स में म.प्र. (मा.सं.) और म.प्र. (मिसाइल सिस्टम) के रूप में अपनी सेवाएँ दी थीं। एक इंजीनियर होने के अलावा, श्री नटराज कृष्णप्पा एक प्रमाणित लागत लेखाकार (आईसीडब्ल्यूए) भी हैं और उन्होंने अपना सामान्य प्रबंधन प्रोग्राम आईआईएम-बेंगलूरू से पूरा किया। वे सीआईआई एक्जिज्म बैंक उत्कृष्टता पुरस्कार के मूल्यांकनकर्ता और आईएसओ 9000, आईएसओ 14000 तथा एएस9100 के अग्रणी मूल्यांकनकर्ता भी हैं और तीन अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकनों के अलावा संगठन में अनेक लेखा परीक्षाएँ संचालित की हैं।

निदेशकों के बीच परस्पर संबंधों का प्रकटन - कुछ नहीं

कंपनियों (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को छोड़कर) जिनमें श्री नटराज कृष्णप्पा निदेशक और समिति सदस्य हैं-

निदेशक -
कोई नहीं

मंडल की समितियों में सदस्य -
कोई नहीं

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में शेरधारण -
कोई नहीं

मंडल के आदेशानुसार,
कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

बेंगलूरू
10 अगस्त 2016

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

the Business Excellence journey in BEL. During this period, he also worked closely with HR consultants to conduct Employee Satisfaction Surveys in the organisation. In June 2008, he was transferred to Military Radar SBU as Project Head of Akash Missile System. Mr Nataraj Krishnappa, who is a PMP from PMI, USA, has successfully used project management concepts while executing the Akash Missile System project. Akash Missile System integrated in the country for the first time is a world-class Surface to Air Missile System that has been inducted into both the Indian Air Force and the Indian Army. He served as GM (HR) and as GM (Missile System) at BEL-Bengaluru before his elevation as Director (Other Units). Mr Nataraj Krishnappa is a certified Cost Accountant (ICWA) and has done his General Management programme from IIM-Bengaluru. He is also a CII EXIM Bank Excellence Award Assessor and Lead Assessor in ISO 9000, ISO 14000 & AS9100 and has carried out several audits within the organization besides three international assessments.

Disclosure of relationships between directors inter-se - Nil

Listed Companies (other than Bharat Electronics Limited) in which Mr Nataraj Krishnappa holds Directorship and Committee Membership

Directorship :
Nil

Member of Board Committees :
Nil

Shareholding in Bharat Electronics Limited :
Nil

By order of the Board,
For **Bharat Electronics Limited**

Bengaluru
10 August 2016

S Sreenivas
Company Secretary

एजीएम स्थल के लिए बीएमटीसी बस

केम्पेगौड़ा बस स्टॉप से -

284 सीरीज़, 286 सीरीज़, 287 सीरीज़, 288 सीरीज़
(शिवांनंद बस स्टॉप पर उतरें)

शिवाजीनगर बस डिपो से -

63 सीरीज़
(शिवांनंद बस स्टॉप पर उतरें)

BMTC BUS TO AGM VENUE

From Kempegowda Bus Stop :

284 series, 286 series, 287 series, 288 series
(Alight at Shivananda Bus Stop)

From Shivajinagar Bus Depot

63 series
(Alight at Shivananda Bus Stop)

